कार्यालय
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
9—जवाहरलाल नेहरू मार्ग
बिहार, पटना।

————————: आयोग की प्रक्रिया का विनियमन :————————————
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993
(बिहार अधिनियम—12, 1993) की धारा—8(2) के तहत
आयोग की प्रक्रिया का विनियमन।

आयोग की बैठक दिनांक 26.09.97 के प्रस्ताव सं0 5 द्वारा दिनांक 01.10.97 से प्रवृत्त।

अध्याय—1 : नाम ।

1. यह विनियमन ''पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विनियमन, 1997 '' कहा जायेगा ।

अध्याय —2 अधिनियम ।

2. '' अधिनियम '' से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (अधिनियम 12,1993) अभिप्रेत है ।

अध्याय —3 :परिभाषा ।

3. बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा —2 में दी गयी परिभाषायें इस प्रक्रिया के लिए प्रभावी होंगी ।

अधिनियम (बिहार अधिनियम 12, 1993) में जबतक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) ''पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है ,बिहार अधिनियम 3, 1992 से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट या विनिर्देश की जाने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन—जातियों से भिन्न पिछड़े वर्ग ।

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा —3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गों के लिय राज्य आयोग ।

(ग) '' सूची'' से अभिप्रेत है, नागरिकों के पिछड़े वर्गों ; जो राज्य सरकार की राय में राज्य सरकार और राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, के लिए नियुक्तियों

एवं पदों पर आरक्षण का उपबंध करने हुतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी सूची ।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है , अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य ।

(ड.) ''विहित'' से अभिप्रेत है , इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित ।

अध्याय – 4 : आयोग की बैठक ।

4– आयोग की साधारण बैठक, सुनवाई हेतु आयोजित बैठक सहित, सामान्यतः हर माह आयोग के मुख्यालय में कम –से कम एक बार आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष वैसी बैठक आवश्यकतानुसार राज्य के किसी अन्य स्थान पर आहूत कर सकेंगें । आवश्यकतानुसार बैठक की तिथि, समय, स्थान एंव विचारार्थ विषय अध्यक्ष निर्धारित करेंगे । इसके लिए कम–से कम 7 (सात) दिनों की पूर्व –सूचना आवश्यक होगी ।

5– असाधरण एवं विशेष बैठक अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है । इसके लिए समय–सीमा नहीं होगी।

6– सुनवाई हेतु आयोजित बैठक सहित सभी बैठकों के लिए, कम–से–कम 3 (तीन)सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा ।

7– बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य होगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में अन्य उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम सदस्य, जिनका नाम सदस्यों के मनोनयन संबंधी अधिसूचना में प्रथम हो, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे । आयोग के कम–से–कम 2 (दो) सदस्य निश्चित प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं और अध्यक्ष वैसे प्रस्ताव एवं अन्य विषयों पर भी विचार हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर आयोग की बैठक आहूत करेंगे ।

8– बैठक की कार्यवाही में विचारार्थ विषय के संबंध में आयोग के सभी निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से लिए जायेंगे । सहमति के अभव में बहुमत का निर्णय आयोग का निर्णय होगा । जो सदस्य विमत देना चाहें ; वे अपना लिखित विमत उक्त बैठक के 7 (सात) दिनों के भीतर देंगे, जो रेकर्ड पर रहेगा ।

9— बैठकों की कार्यवाही में आयोग का निर्णय अंकित होगा । किसी बिन्दु या विषय पर सदस्यों का विचार संक्षिप्त रूप में अंकित किया जायेगा, किन्तु आयोग का निर्णय संबंधी प्रस्ताव ही आपरेटिभ होगा ।

10— गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि एवं अनुपालन — प्रतिवेदन की प्रस्तुति क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय एजेन्डा होंगे । स्थगित विचारार्थ विषय सामान्यतः इसके बाद रखा जायेगा ।

अध्याय— 5 : अभ्यावेदन ।

11— किसी वर्ग के समावेशन/अल्प—समावेशन /अति—समावेशन संबंधी अनुरोध आयोग को 7 (सात) या यथा निर्देशित 7 (सात) या अधिक प्रतियों में समर्पित किया जायेगा, जिसकी प्रतियॉ सभी सदस्यों एवं सरकार को इसकी प्राप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर परिचारित की जायेगी ।

12— अनुरोध — पत्र संबंधित कागजात के साथ प्रश्नावली एवं शपथ —पत्र आयोग के कार्यालय में जिस तिथि को प्राप्त होंगे उस तिथि में वे '' पंजीबद्ध'' किए जायेंगे और उसी तिथि से उनका वरीयता —क्रम निर्धारित माना जायेगा और तदनुसार उनकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी ।

13— आवेदक द्वारा भरकर दी गयी प्रश्नावली की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी और अनुरोध किया जायगा कि सरकार 40 (चालीस) दिनों के भीतर उसे सत्यापित (भेरिफाई) कर सरकार के मंतव्य के साथ आयोग को भेजे ।

अध्याय — 6 : जांच ।

14— आयोग अगर आवश्यक समझे तो स्थानीय — जांच का निर्णय ले सकता है और इसके लिए एक या एक से अधिक उप— समिति का गठन अपनी बैठक में कर सकता है । स्थानीय —जांच हेतु गठित उप— समिति में कम—से कम 2 (दो) सदस्य होंगे । जांच के क्रम में अधिनियम की धारा —10 के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है ।

15— उप—समिति अपने विवेकानुसार उचित जांच करेगी और जांच के क्रम में आवश्यक समझेगी तो, सामाजिक/ शैक्षणिक/ सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व आदि से संबंधित आयोग द्वारा विहित सर्वेक्षण — प्रपत्र (प्ररूप—2) भी भरवा सकती है ।

16— उप — समिति के जांच / परिभ्रमण कार्यक्रम की तिथि/समय/स्थान आदि की सूचना साधारणतः कम—से कम 21 (एक्कीस) दिनों पूर्व संबंधित अभ्यावेदक, सांसद, विधान—सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं आयोग के निर्णयानुसार अन्य जन—प्रतिनिधियों /संगठनों/ सरकारी शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित की जायेगी तथा उसकी एक—एक प्रति आयोग के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित होगी एवं एक—एक प्रति राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) तथा संबंधित जिला / अनुमण्डल/ प्रखण्ड को सूचनार्थ , नोटिश — बोर्ड पर प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जायेगी । इसकी एक—एक प्रति आयोग द्वारा विहित बिहार के दैनिक समाचार—पत्रों, दूरदर्शन / आकाशवाणी को समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ प्रेषित की जायेगी । इसकी एक प्रति बिहार गजट में प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी ।

17— संबंधित क्षेत्र के सांसद / विधान —सभा सदस्य / विधान परिषद — सदस्य / पंचायत / जिला पार्षद से उनके विचार हेतु पत्र द्वारा अनुरोध किया जायेगा । उनसे यह भी अनुरोध किया जायगा कि अगर वे चाहें तो उप —समिति से उनके परिभ्रमण के दौरान सम्पर्क कर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

18— जांच/परिभ्रमण—कार्यक्रम की सूचना सरकार तथा संबंधित जिला पदाधिकारी, अनुमडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को साधारणतः कम—से कम 21 (एक्कीस) दिनों पूर्व भेजी जायेगी तथा जांच के संबंध में विचार— विमर्श एवं सहायता/ सहयोग अपेक्षित होगा ।

19— संबंधित जिला पदाधिकारियों से निम्नांकित बिन्दुओं पर टिप्पणी प्राप्त की जायगी :—

(क) संबंधित अभ्यावेदक वर्ग की सामाजिक स्थिति ;

(ख) शैक्षणिक स्थिति ;

(ग) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में उनकी भागीदारी ;

(घ) पारम्परिक पेशा /व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय;

(ड.) अन्य वर्गो द्वारा संबंधित वर्ग को सामाजिक स्तर पर पिछड़ा समझा जाता है या नहीं ;

(च) ग्रम/ पंचायत/ प्रखण्ड/ जिलावार उनकी आबादी;

(छ) विभिन्न निर्वाचित निकाओं में इनके प्रतिनिधित्व की स्थिति ; और

(ज) सरकारी अभिलेख / जिला गजेटीयर में इस वर्ग के संबंध में कोई उल्लेख हे तो उसका उद्धरण संलग्न करें ।

20— जॉच समाप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर उप — समिति अपना जांच — प्रतिवेदन अध्यक्ष को समर्पित करेगी । जांच — प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर जांच — प्रतिवेदन की प्रतियॉ सभी सदस्यों को बैठक के कम —से —कम 7 (सात) दिनों पूर्व परिचारित की जायगी ।

अध्याय —7 : सुनवाई ।

21— सुनवाइ की तिथि, स्थान एवं समय का निर्धारण अघ्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

22 — सुनवाई की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना देते हुए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना) को सूचित किया जायगा कि सरकार सुनवाई के दौरान सरकार के प्रतिनिधित्व हेतु एक प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त कर सकती है जो सरकार का स्टैन्ड आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सके तथा संबंधित अभ्यावेदन के संबंध में सरकार के पास अगर कोई कागजात /साक्ष्य हो, तो आयोग को समर्पित करे ।

23— सुनवाई संबंधी जो सूचना अभ्यावेदक ; सरकार, सांसद, विधायक , पार्षद एवं अन्य संबंधित लोगों / संगठनों आदि को दी जायेगी; उसकी एक प्रति आयोग के सूचना—पट पर प्रकाशित की जायेगी ।

24— अभ्यावेदन की सुनवाई, सर्वेक्षण— प्रतिवेदन, उप—समिति के जांच —प्रतिवेदन, अभिलेख में उपलब्ध कागजात तथा अन्य संगत तथ्यों आदि पर विचार कर उस पर निर्णय आयोग द्वारा लिया जायेगा ।

25 उपर्युक्त विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई हेतु आयोजित आयोग की बैठक में की गयी सुनवाई , सर्वेक्षण– प्रतिवेदन, उप–समिति के जांच – प्रतिवेदन , अभिलेख में उपलब्ध कागजात पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय की अपेक्षा होगी । सर्वसम्मति से निर्णय के प्रयास विफल होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय आयोग का निर्णय माना जायेगा और तदनुसार अधिनियम की धारा –9 के तहत आयोग की राय सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

26– आयोग के उपर्युक्त निर्णयानुसार अधिनियम की धारा –9 के तहत आयोग की सलाह सरकार को भेजने के पहले उसका प्रारूप 10 (दस) दिनों के भीतर सभी सदस्यों को परिचारित किया जायेगा ।

उक्त 10 (दस) दिनों के समापन के बाद आयोग की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें प्रारूप को अंतिम रूप दिया जायेगा । त्त्पश्चात् अधिनियिम की धारा–9 के तहत आयोग की सलाह 10 (दस) दिनों के भीतर विमत, अगर कोई हो , के साथ सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

27– अगर कोई सदस्य बहुमत से भिन्न राय रखते हैं तो वे अपना लिखित विमत उसी बैठक में समर्पित करेंगे ।

28– विमत/ प्रतिवेदन में अशिष्ट भाषा / आरोप हो तो आयोग / अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि अधिनियम की धरा–9 के तहत सरकार को सलाह भेजने के पूर्व उस अंश को विलोपित कर दें ।

29– अगर आयोग की सलाह पर कोई सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते है तो वैसी सिति में संबंधित सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही अध्यक्ष सलाह सरकार को भेज सकेगे और आयोग की अगली बैठक में सूचित करेगें जिसपर बहस नहीं होगी ।

अध्याय –8 : सर्वेक्षण ।

30– अगर सर्वेक्षण आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में , आयोग किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था, जिसे ऐसे सर्वेक्षण–कार्य का अनुभव एवं महारत प्राप्त हो , को यह कार्य सौंप सकता है ।

इस कार्य के लिए यथोचित व्यय का वहन आयोग अधिनियम की धरा —12 (2) के अधीन अनुदान की निधि से कर सकता है ।

अध्याय —9 : वित्त एवं लेखा ।

31— अधिनियम की धारा —12 (1) के अधीन सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि का व्यय अधिनियम की धारा — 12 (2) के अध्यधीन होगा एवं धारा 12 (2) के प्रावधानों से शासित एवं विनियमित होगा ।

32— बजट :— आयोग का बजट चालू वित्तीय वर्ष के माह जुलाई अथवा सरकार द्वारा मांग करने पर यथासमय, विहित—प्रपत्र में आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा जिसे सरकार को प्रेषित किया जायेगा ।अक्टूबर में व्यय की छमाही समीक्षा की जायेगी ।

33— लेखा—प्रतिवेदन : — अधिनियमन की धारा —13 (1) के अधीन विहित प्रपत्र में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा एवं एक प्रति सरकार को भेजी जायगी ।

अध्याय — 10 : प्रकीर्ण ।

34 — वार्षिक — प्रतिवेदन : — जबतक सरकार से विहित प्रप़त्र एवं तिथि का निर्धारण नहीं होता है तब तक अधिनियम की धारा —14 के अधीन वार्षिक — प्रतिवेदन का प्रारूप निम्न उप — शीर्ष के अन्तर्गत तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा और आयोग के अनुमोदन के पश्चात सरकार को 31 मई तक प्रेषित किया जायेगा :—

(क) प्रशासनिक :

1—आयोग के गठन का उद्देश्य एवं कृत्य (संक्षेप में),

2— आयोग के कर्मी ।

(ख) सरकार से प्राप्त अनुदान

(गा) संचालन / कार्य—कलाप :

1—बैठकें,

2— अभ्यावेदनों के निष्पादन की स्थिति,

3— विविध,

4— समस्याएं ।

35— ऐसे आवेदन, जो अधिनियम के प्रावधनों से अच्छादित नहीं हैं, और उसके अनुकूल नहीं हैं, का निष्पादन अध्यक्ष करेंगे ।

36— आयोग अथवा अध्यक्ष, आयोग के कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु संदस्य / सदस्यों की उप— समिति को केन्द्र अथवा अन्य राज्यों में आवश्यक जानकारी प्राप्त होने हेतु अधिकृत कर सकता है ।

37— अधिनियम की धारा —4 (3)(ड़.) के तहत आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने में किसी सदस्य की असमर्थता हो तो संबंधित, सदस्य अध्यक्ष को आवेदन देंगे और उसे उध्यक्ष आयोग की बैठक में अनुमोदन हेतु रखेगें ।

38— आयोग / अध्यक्ष आयोग के कृत्यों के सम्पादन हेतु सदस्य/ सदस्यों को कार्य का बंटवारा कर सकते हैं।

39— इस विनियम के प्रावधानों में वेसे किसी विषय, जिसका स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, आयोग/ अध्यक्ष उसके सम्पादन हेतु प्रक्रिया निधार्रित करेगा ।

40— आवश्यकतानुसार आयोग समय—समय पर इस विनियम का संशोधन कर सकेगा ।

41— कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण सदस्य— सचिव करेंगे ।

हस्ताक्षर अस्पष्ट

सदस्य सचिव
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग
बिहार, पटना।